दैनिक भास्कर हनुमानगढ़ भास्कर 27-02-2023

एक्सक्लूसिव • प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के तहत 10 लाख तक की सब्सिडी, आवेदन जारी

खाद्य उद्योग लगाने पर 35% अनुदान, युवाओं का बढ़ा रुझान, अब तक 1 करोड़ से ज्यादा की सब्सिडी भुगतान

भास्कर संवाददाता | हनुमानगढ़

प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (पीएमएफएमई) के प्रति लोगों का अब रुझान बढ़ने लगा है। प्रोजेक्ट स्वीकृति के बाद एक मुश्त सब्सिडी मिलने के कारण आवेदकों की संख्या बढ़ रही है। पिछले छह माह में लगभग एक दर्जन लोगों को एक करोड़ रुपए से अधिक का अनुदान मिल चुका है। कृषि विपणन विभाग की ओर से लोगों को योजना के बारे में जागरूक किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग योजना के तहत खाने-पीने की वस्तुओं का उद्योग लगाने पर 35 प्रतिशत की सब्सिडी दी जा रही है। एक व्यक्ति को अधिकतम 10 लाख रुपए तक की सब्सिडी देय है। साथ ही सूक्ष्म उद्योग स्थापित करने पर सिविल कंस्ट्रक्शन के साथ मशीनरी का भी ऋण दिया जा रहा है। ऐसे में सूक्ष्म औद्योगिक इकाई लगाने वाले लोगों के लिए यह योजना काफी फायदेमंद बताई जा रही है। इसी कारण युवाओं का रुझान बढ़ता जा रहा है। योजना के तहत आवेदन करने के लिए सबसे पहले प्रोजेक्टर रिपोर्ट तैयार करवाई जाती है। कृषि विपणन विभाग स्तर पर प्रोजेक्ट के लिए अधिकारी की नियुक्ति की गई है। सबसे खास बात है कि प्रोजेक्टर फाइल तैयार करवाने का कोई शुल्क नहीं है। प्रोजेक्टर रिपोर्ट ऑनलाइन ही कृषि विपणन विभाग द्वारा बैंक को भेजी जाती है। बैंक की ओर से कार्रवाई पूरी कर ऋण स्वीकृत कर दिया जाता है।

ग्रामीण क्षेत्र में भी स्थापित कर सकते हैं इकाई, किराए की भूमि पर भी लगा सकते हैं उद्योग

योजना के तहत सूक्ष्म उद्योग शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित किए जा सकते हैं। अगर ग्रामीण क्षेत्र में किसी व्यक्ति के पास खुद की जगह है तो वे वहीं पर आटा चक्की, तेल मिल सहित विभिन्न उद्योग लगा सकते हैं। शहरी क्षेत्र में खुद की जगह नहीं होने की स्थिति में किराए पर भी जगह लेकर उद्योग लगा सकते हैं। सिविल कंस्ट्रक्शन और बड़े प्रोजेक्ट के लिए पट्टे की आवश्यकता होती है। पट्टे के बगैर कोई बैंक ऋण स्वीकृत नहीं करते। कृषि विपणन विभाग के अधिकारियों के अनुसार स्वयं का रोजगार शुरू करने के इच्छुक लोगों के लिए यह योजना बहुत ही फायदेमंद है। इससे अन्य लोगों को भी रोजगार मुहैया करवाया जा सकता है। मंडी समिति की ओर से आगामी सीजन में मंडियों में आने वाले काश्तकारों को भी योजना के बारे में जानकारी देकर जागरूक किया जाएगा।

इन दस्तावेजों की जरूरत

• आधार कार्ड • स्थायी प्रमाण पत्र • आय प्रमाण पत्र • बैंक खाता • पासपोर्ट साइज फोटो • मोबाइल नंबर

आटा चक्की, मसाला केंद्र के साथ औद्योगिक इकाई की कर सकते हैं स्थापना, राजस्थान का मूल निवासी जरूरी

प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के तहत आटा चक्की, मिठाई, मसाला पिसाई, तेल मिल, बिस्कुट बेकरी, डबल रोटी या ब्रैड, आचार बनाना, पापड़, शरबन, दूध पैकिंग, दूध क्रीम, घी बनाना, पनीर, नमकीन, सेवियों सहित अन्य खाद्य वस्तुओं के उद्योग स्थापित कर सकते हैं। अगर पूर्व में चल रहे उद्योग को एक्सपेंशन भी कर सकते हैं। कृषि विपणन विभाग के अधिकारियों के अनुसार योजना का लाभ लेने वाले व्यक्ति राजस्थान का मूल निवासी होना जरूरी है। इसके साथ जीएसटी नंबर, आधार कार्ड, बैंक खाता, 8वीं पास का प्रमाण पत्र अनिवार्य है। योजना की जानकारी देने के लिए जिला स्तर पर एक डीआरपी नियुक्त किया गया है। इसके अलावा हनुमानगढ़ कृषि उपज मंडी समिति के सचिव सीएल वर्मा को डीएलसी बनाया गया है। इच्छुक व्यक्ति इनसे संपर्क कर योजना के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

सूक्ष्म खाद्य उद्योग योजना के तहत अब तक 1 करोड़ रुपए की सब्सिडी का हो चुका भुगतान: सचिव

स्वयं का सूक्ष्म उद्योग लगाने के लिए प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग योजना बहुत ही लाभकारी है। योजना के प्रति अब लोगों का रुझान बढ़ने लगा है। अब तक 1 करोड़ से अधिक की सब्सिडी का भुगतान हो चुका है। आमजन को योजना के बारे में जागरूक भी किया जा रहा है।

सीएल वर्मा, सचिव कृषि उपज मंडी समिति, हनुमानगढ़